

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०स० - १२/१२

५८

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: १३.६.१२

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-६४-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180800640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट २ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य /	८००-अन्य व्यय / ६४-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	०५-निर्माण / ४५ मुख्य निर्माण कार्य ४९P470180800640545	322.00

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ बाईस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. १३५०.०० लाख (तेरह करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-२, पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

१.१.११
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

११६
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

११३
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
लि

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

लूप
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

58

रॉची, दिनांक :— 13.6.12

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

लूप

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

58

रॉची, दिनांक :— 13.6.12

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

सुरेश प्रसाद भगत
सहायक अभियंता

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

लूप
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....58.....

दिनांक१२.६.२०.....

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर मूर्जीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष-64-छोटानगपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800640545 वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपर्युक्त 1350.00 लाख (तेरह करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधियंता	योजना का नाम		प्रशासनिक स्वीकृति की तार्क का तार्क का व्यय	मार्च 2012	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि	प्रसारा
			राशि	प्रसारा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ओरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी	मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	34110.91	44/04.03.03	24348.00	0.00	172.00	172.00			
2	जलपथ प्रमंडल मेदिनीनगर		उत्तर कोयल परियोजना	81470.00	1645/16.07-98	76339.00	0.00	150.00	150.00			
			कुल योग				0.00	322.00	322.00			
आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ बाहेस लाख मात्र।												

(मुरोद भगत)
सहायक अधिकारी

(मुरोद कुमार मिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधि.)

(वी. सी. नियम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विपत्र कोड—49P470180800640545

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ओरंगा निर्माण प्रमंडल, पांका अमानत बराज योजना	बराज कन्ट्रोल रूम का कार्य	बराज कन्ट्रोल रूम का कार्य	1.80	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 7.50 से 9.00 तक भिट्ठी का कार्य	3.40	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 55.50 पर सी०डी० निर्माण कार्य	20.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 58.60 पर सी०डी० निर्माण कार्य	23.00	
			अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 81.50 पर सी०डी० निर्माण एवं 88.90 पर एस०एल०आर० ब्रीज का निर्माण एवं आर०डी० 57.70 से 60.80 के बीच भिट्ठी कार्य	6.30	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 100.24 पर सी०डी० निर्माण कार्य	15.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 85.50 एवं 88.70 पर सी०डी० निर्माण कार्य	20.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 131.50 पर सी०डी० निर्माण कार्य	9.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 134.00 पर सी०डी० निर्माण कार्य	15.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 64.20, 68.40 एवं 85.17 पर पुल निर्माण	7.50	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 97.80 एवं 104.00 पर पुल निर्माण का कार्य	19.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 120.40 एवं 130.50 पर पुल निर्माण का कार्य	17.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 43.80, 47.50 एवं 51.80 पर पुल निर्माण का कार्य	7.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 56.30, 59.30 एवं 62.20 पर पुल निर्माण का कार्य	8.00	
			योग	172.00	
2	जलपथ प्रमंडल मेदिनीनगर	उत्तर कोयला परियोजना	बुधवा माइनर में 78.50 मी० से 200.00 मी० तक guard wall एवं 1580 मी० से अंतिम छोर तक सेवा पथ का निर्माण तथा 2 अदद SLR का निर्माण कार्य	11.00	
			विश्रामपुर सब डिस्ट्रीब्यूटरी में सेवा पथ तथा सुपर पैसेज का निर्माण	11.00	
			सोनवर्षा सब डिस्ट्रीब्यूटरी में 6 अदद SLR, 25 अदद आउटलेट, एक अदद फाल, 3 अदद वाटर कोर्स कामथ वाटर कोर्स को पूर्ण करने का कार्य तथा सेनवर्षा माइनर के कि०मी० 0.00 से 2.67 तक सेवा पथ का निर्माण	20.00	
			पोखराही सब डिस्ट्रीब्यूटरी में 4740 मी० से 6800 मी० तक सेवापथ का निर्माण, 9 अदद SLR, 4 अदद फाल, 5 अदद वाटर कोर्स, आउटलेख 1460 मी० से 4740 मी० तक सेवा पथ का निर्माण कार्य	73.00	
			दादर सब डिस्ट्रीब्यूटरी में सेवा पथ, डी०एल०आर० ब्रीज, एस०एल०आर० ब्रीज, फाल एवं आउटलेट का निर्माण कार्य	10.00	
			बराही सब डिस्ट्रीब्यूटरी में 6 अदद एस०एल०आर० ब्रीज का निर्माण कार्य	10.00	
			जपला में आई०बी० निर्माण का कार्य	15.00	
			योग	150.00	
			महायोग	322.00	

आवंटित राशि — ₹ तीन करोड़ बाईस लाख मात्र।

११८८
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

११८८
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

११८८
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

११८८
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव